



न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 20/2016

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना हरनावदाशाहजी जयें जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

श्री उमाशंकर पुत्र जमनालाल जाति गाडरी गुर्जर निवासी हरनावदाशाहजी जिला बारां (राज.)
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)
2- स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 26.3.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल उमाशंकर पुत्र जमनालाल जाति गाडरी गुर्जर निवासी हरनावदाशाहजी जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना हरनावदाशाहजी जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना हरनावदाशाहजी क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके विरुद्ध पुलिस थाना हरनावदाशाहजी में वर्ष 2004 से 2013 के मध्य कुल 12 प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से यह व्यक्ति 10 प्रकरण धारा 13 आरपीजी, 01 प्रकरण धारा 4/15 आर्म्स एक्ट तथा 1 प्रकरण धारा 110 सीआरपीसी का है, जिनमें से 10 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चूका है, जिसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पत्ति का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके विरुद्ध इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है, इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	148/2004	13 आरपीजीओ	134/30.09.2004	सजा
2.	78/05	13 आरपीजीओ	55/29.04.2015	सजा
3.	97/05	13 आरपीजीओ	72/22.05.2005	सजा
4.	124/05	13 आरपीजीओ	99/23.07.2005	सजा
5.	141/05	13 आरपीजीओ	113/23.08.2005	सजा
6.	182/05	13 आरपीजीओ	148/23.11.2005	सजा
7.	163/06	13 आरपीजीओ	123/30.09.2010	सजा

8.	5/07	13 आरपीजीओ	02/26.01.2007	सजा
9.	34/11	4/25 आर्म्स एक्ट	29/28.02.2011	जैर ट्रायल
10.	122/13	13 आरपीजीओ	88/22.07.2013	सजा
11.	146/13	13 आरपीजीओ	106/29.08.2013	सजा
12.	इस्तगासा	110 सीआरपीसी	29.06.2016	जैर ट्रायल

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासे दिनांक 05.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किये गये तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जिला बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल विरुद्ध पुलिस थाना हरनावदाशाहजी में वर्ष 2004 से 2013 के मध्य कुल 12 प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से यह व्यक्ति 10 प्रकरण धारा 13 आरपीजी, 01 प्रकरण धारा 4/15 आर्म्स एक्ट तथा 1 प्रकरण धारा 110 सीआरपीसी का है। जिनमें से 10 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ में न्यायालय से सजायाब हो चुका है, गैरसायल की दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पत्ति का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके विरुद्ध इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है, इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा जिला बदर किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा गाँव यहाँ से 100 कि.मी. दूरी पर स्थित है। मुझे यहाँ तारीख पेशी पर आने में काफी परेशानी होती है, किराया अधिक लगता है और उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। मैं स्वयं की सहमति में उक्त प्रकरण का जिला बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे परिवार जन कामखेडा में रहते है। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना हरनावदाशाहजी द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के फलस्वरूप मुझे पुलिस थाना कामखेडा जिला झालावाड (राज.) किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। उक्त पुलिस थाना मेरे गाँव में नजदीक है। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना हरनावदाशाहजी में वर्ष 2004 से 2013 के मध्य कुल 12 प्रकरण दर्ज हुये हैं। उक्त प्रकरणों में से यह व्यक्ति 10 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री उमाशंकर पुत्र जमनालाल जाति गाडरी गुर्जर निवासी हरनावदाशाहजी जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के 10 प्रकरणों में दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री उमाशंकर पुत्र जमनालाल जाति गाडरी गुर्जर निवासी हरनावदाशाहजी जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र हरनावदाशाहजी से 7 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री उमाशंकर पुत्र जमनालाल जाति गाडरी गुर्जर निवासी हरनावदाशाहजी जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना हरनावदाशाहजी से 7 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना कामखेडा जिला झालावाड को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं मुचलका इस अवधि में नेचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 10.04.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां/झालावाड एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कामखेडा जिला झालावाड को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना हरनावदाशाहजी जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र हरनावदाशाहजी से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना कामखेडा जिला झालावाड के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 26.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां